प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 856 सन 2019
अनवान :–

1. जसवीर उर्फ वकीलसिह पुत्र बाबुसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर हाल गयाना तहसील तलवण्डी साबो जिला भटिण्डा।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 24.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 44/36 की कुल 0.5060हैक्ट में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक्ट में से 100 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम वकीलसिह दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम जसवीरसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम जसवीरसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , आयकर विभाग का आयकार्ड सभी में वादी का नाम जसवीरसिह दर्ज है तथा वादी ने अपने नाम के समर्थन में शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है जिसके अनुसार भी वादी का नाम जसवीरसिह किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम वकीलसिह दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर वकीलसिह के स्थान पर जसवीरसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 44/36 की कुल 0.5060हैक्ट में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक्ट में से 100 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम वकीलसिह दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम जसवीरसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम जसवीरसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , आयकर विभाग का आयकार्ड सभी में वादी का नाम जसवीरसिह दर्ज है तथा वादी ने अपने नाम के समर्थन में शपथ पत्र एवं ग्राम

पंचायत का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है जिसके अनुसार भी वादी का नाम जसवीरसिह किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम वकीलसिह दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 44/36 की कुल 0.5060हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक में से 100 हिस्सा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम वकीलसिह दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय जसवीरसिह के स्थान पर वकीलसिह दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, आय कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम जसवीरसिह दर्ज है। तथा वादी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किया गया है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम जसवीरसिह होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हैं साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्रम पंचायत के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 44/36 की कुल 0.5060हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक में से 100 हिस्सा में वादी का जसवीरसिह पुत्र बाबुसिह अंकित है के स्थान पर जसवीरसिंह उर्फ वकीलसिह पुत्र बाबुसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट– रतनपुरा

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. जसवीर उर्फ वकीलसिह पुत्र बाबुसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर हाल गयाना तहसील तलवण्डी साबो जिला भटिण्डा।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 856 सन 2019 निर्णय दिनांक–24.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 44/36 की कुल 0.5060हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक में से 100 हिस्सा में वादी का जसवीरसिह पुत्र बाबुसिह अंकित है के स्थान पर जसवीरसिंह उर्फ वकीलसिह पुत्र बाबुसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट...रतनपुरा..

उपखण्ड अधिकारी नोहर